



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी प्रकरण क्रमांक 11/निगरानी/छतरपुर/भू.रा.०/2017/4220 सन् 2017

शिवम तिवारी तनय ओमप्रकाश तिवारी

ना०वा०सर० माँ मनोरमा पत्नी ओमप्रकाश तिवारी

निवासी जटकरा (खजुराहो) तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म०प्र०)-----निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. रामप्यारे तिवारी तनय स्व०श्री मुरलीधर तिवारी

2. हरप्रसाद तनय स्व० श्री मुरलीधर तिवारी

3. ओमप्रकाश तनय स्व० श्री मुरलीधर तिवारी

तीनों निवासी जटकरा (खजुराहो) तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म०प्र०)-----गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2015-16

न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर द्वारा

पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 से परिवेदित

होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व

संहिता 1959।

महोदय,

शिवम तिवारी तनय ओमप्रकाश तिवारी
ना०वा०सर० माँ मनोरमा पत्नी ओमप्रकाश तिवारी
निवासी जटकरा (खजुराहो) तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म०प्र०)-----निगरानीकर्ता / आवेदक
बनाम
1. रामप्यारे तिवारी तनय स्व०श्री मुरलीधर तिवारी
2. हरप्रसाद तनय स्व० श्री मुरलीधर तिवारी
3. ओमप्रकाश तनय स्व० श्री मुरलीधर तिवारी
तीनों निवासी जटकरा (खजुराहो) तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म०प्र०)-----गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक
निगरानी प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2015-16
न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर द्वारा
पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 से परिवेदित
होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता 1959।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती रुद्रि श्रीवास्तव (एड.)
इलवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244803

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 4220

शिवम तिवारी विरुद्ध रामप्यारे तिवारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 20-09-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>